अपील सूचना अधिकार संख्या 71/2020 (RCMS 2020/00118) बृजलाल पुत्र बिड़दाराम निवासी सालीवाला तहसील टीबी, जिला हनुमानगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.09.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बृजलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2020 प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बृजलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. चक 3 एलजीएम में रकबाराज की सूची उपलब्ध कराने का श्रम करें मय प.न./मु.न./कि.नं.
2. इस रकबा राज की मौजूदा स्थिति की सूचना उपलब्ध करावें।
3. उक्त रकबा राज पर काबिज व्यक्तियों के विवरण की सूचना

तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर ने अपने पत्रांक 69 दिनांक 03.04.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नलिखित है:

बिन्दु सं. 01 : ग्राम 3 एलजीएम के रकबा राज की सूची चाही गई है, जिसके मुताबिक लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 की सूची ना होकर जमाबंदी संधारित है। ग्राम 3 एलजीएम के खाता संख्या 01 में रकबा राज उल्लेखित है। उक्त खाते में 358 किला है। जिसमें 24.134 हैक्टेयर रकबा राज है। उक्त खाते की जमाबंदी प्रतिलिपि शुल्क 185/– (एक सौ पिचयासी रूपये मात्र) संदाय कर पटवारी हल्का एवं तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु सं. 02 : में मौजूदा स्थिति चाही गई है। जिससे सम्बन्धित कोई अभिलेख पटवार स्तर पर संधारित नहीं होता है। उक्त सूचना प्रश्नात्मक होने से अधिनियम की परिधि से बाहर है।

बिन्दु सं. 03 : में रकबा राज पर काबिज व्यक्तियों की सूचना चाही गई है। उक्त सूचना किस वर्ष व अवधि के संदर्भ में चाही गई है। इसका विवरण आप द्वारा नहीं दिया गया है। वांछित विशिष्टियों की व्यक्तिशः उपस्थित होकर पूर्ति कर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।

चाही गई सूचना बिन्दुवार प्रेषित है।

तहसीलदार (राजस्व)
श्रीविजयनगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 1 की सूचना निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपीलार्थी प्राप्त कर सकता है और बिन्दु संख्या 2 प्रश्नात्मक है जो देय नहीं है इसलिए बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध सही विवरण उपलब्ध करवा देता है तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित सूचना निश्चित शुल्क जमा कर उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर